कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(प्रतापपुर रोड, फारेस्ट कैम्पस, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा)

☎ 07774-240238 (0), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :- dfosouthsurguja_200@rediffmail.com

क्रमांक/तक.अधि./ 1996 अम्बिकापुर, दिनांक/19/10/2022

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
एवं नोडल अधिकारी,
बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

विषय :- Diversion of forest lane for non forest purpose under forest conservation act 1980 proposed for Widening of exiting Road from Ambikapur to Ramanujganj 2-lane, National Highway 343 in the state of chhattisgarh (Proposal no. **FP/CG/ROAD/147299/2021, Area 104.427 hac.)**

संदर्भः- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.-115-845/8011 दिनांक 09.12.2021

----00----

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अम्बिकापुर रामानुंजगंज गढवा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 का उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव पंजीयन क्रमांक **FP/CG/ROAD/147299/2021** आबंटित किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक 1471 दिनांक 24.07.2022 एवं पत्र क्रमांक/1652 दिनांक 02.09.2022 द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अम्बिकापुर रामानुजगंज गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 के वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सरगुजा वनमण्डल अन्तर्गत सम्मिलित भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

परियोजना का नाम	जिला/वनमण्डल	तहसील/परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	राजस्व वन भूमि (हे. मे)	आरक्षित/संरक्षित वन भूमि (हे. मे)	कुल भूमि (हे. मे)
अम्बिकापुर रामानुजगंज गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343	सरगुजा	अम्बिकापुर	P 2535	0.00	2.442	2.442
	-"-		P 2577	0.00	5.637	5.637
	-"-	-"-	मेण्ड्राखुर्द (खसरा नं. 736/1, 615, 616 एवं 781/1)	1.567	0.00	1.567
	-"-	-"-	किशुनपुर (खसरा क्र. 431/1)	0.208	0.00	0.208
	-"-	-"-	रजपुरी खुर्द (खसरा क्र. 16)	0.015	0.00	0.015
	कुल योग :-			**1.790**	**8.079**	**9.869**

प्रकरण अन्तर्गत सरगुजा वनमण्डल के वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (9.869 हे.) क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

1. सरगुजा वनमण्डल अन्तर्गत अम्बिकापुर परिक्षेत्र के संरक्षित वनभूमि 8.079 हे. एवं ग्राम मेण्ड्राखुर्द, किशुनपुर एवं रजपुरी खुर्द की राजस्व वनभूमि 1.790 हे. कुल वनभूमि 9.869 हे. क्षेत्र का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र अम्बिकापुर के द्वारा प्रस्तुत किया गया।

D.F.O.
Surguja Division
Ambikapur

ROHIT\F:\E DRIVE\DM\FCA Proposal\NH Ambikapur to Ramanuj Ganj (343)\MEMO.doc

Scanned with CamScanner

2. Diversion हेतु कुल वनक्षेत्र 9.869 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़े वृक्षों के सेम्पल प्लॉट गणना प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र.	वनमंडल	रक़बा (हेक्टे. में)	कुल वृक्ष संख्या
1	सरगुजा	9.869	578

प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का घनत्व 0.4 से 0.5 तक है। इसमें मुख्यतः सागौन, साल, महुआ, करंजी, पलाश, काजी, बरगद इत्यादि प्रजाति के वृक्ष खड़े है एवं वनक्षेत्र की Site Quality III एवं IV है।

3. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :–

(i) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तन हेतु अम्बिकापुर रामानुंजगंज गढवा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 का उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु है।

(ii) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग आवेदनकर्ता के मांग अनुसार न्यूनतम है।

4. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सरगुजा जिले के संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

5. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने का संबंधित जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है।

6. परियोजना का Cost Benefit Analysis आवेदनकर्ता संस्थान द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

7. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना मे आवेदनकर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नहीं किया हैं।

8. आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है।

9. आवेदक द्वारा प्रकरण में प्रत्यांशां मूल्य जमा करने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. प्रकरण में सम्मिलित वन भूमि क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत कलेक्टर सरगुजा द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।

11. प्रकरण में व्यपवर्तन वन भूमि के लिए Form – A का Part –II बेबसाईट पर अपलोड किया है।

12. प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट मय Shape File प्रस्ताव के संलग्न है।

उपरोक्तानुसार अम्बिकापुर रामानुंजगंज गढवा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 का उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य का कुल वनभूमि 9.869 हे. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 05 प्रतियों में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतू संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– 1. व्यपवर्तन प्रस्ताव सरगुजा वनमण्डल के 05–05 प्रतियों में । (01 मूल प्रति)
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट मय Shape File के साथ 05 प्रतियो में।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर

Scanned with CamScanner

अम्बिकापुर, दिनांक/ 19 / 10 /2022

पृ.क्र./तक.अधि./1997

प्रतिलिपि :—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) अरण्य भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कलेक्टर सरगुजा जिला अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) छ.ग. रायपुर के पत्र दिनांक 10.08.2022 के पालन में परियोजना जॉच समिति का आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर

Scanned with CamScanner